इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2015—भाद्र 6, शक 1937

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्र. एफ-1(1)14-2012-सी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 में, उप नियम (1) में, खण्ड (ग) में,—

(एक) उप खण्ड (एक) में, अंक और शब्द "38 वर्ष" के स्थान पर, अंक और शब्द "40 वर्ष" स्थापित किए जाएं ;

(दो) उप खण्ड (दो) में, अंक और शब्द "38 वर्ष" के स्थान पर, अंक और शब्द "40 वर्ष" स्थापित किए जाएं ;

(तीन) टिप्पणी (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"टिप्पणी (3) किसी भी दशा में समस्त प्रवर्गों में अधिकतम आयु सीमा इस खण्ड में उपबंधित समस्त छूटों को सम्मिलित करने के पश्चात् 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु की संगणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी—3—ग्यारह/12/1/13, दिनांक 3.11.2012 तथा 20.11.2012 के अनुसार की जाएगी।"।

2. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"9. निरर्हताएं.—

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जाएगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, सेवा में. नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा:

परन्तु ऐसा अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो,तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा:

परन्तु जहां अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लम्बित है तो उसकी नियुक्ति का मामला, मामले के अंतिम विनिश्चिय तक लम्बित रखा जाएगा।"।

3. नियम 11 में, उप नियम (3) में, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 14 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।"।

4. अनुसूची—एक में, —

(एक) अनुक्रमांक 3 एवं 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3.	उप संचालक, उद्योग/ महाप्रबंधक	72	वर्ग—एक	15600—39100ग्रेड वेतन 6600/—
7.	सहायक संचालक, उद्योग/प्रबंधक	227	वर्ग—दो	15600—39100 ग्रेड वेतन 5400/— ।";

(दो) अनुक्रमांक 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13.	वरिष्ठ निज सहायक	09	राजपत्रित सेवा वर्ग—दो	9300—34800 ग्रेड वेतन 4200/— "

5. अनुसूची–दो में,–

(एक) अनुक्रमांक 3 एवं 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1) (क) देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिए)	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1) (ग) देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राजपत्रित सेवा)	"(3) उप संचालक, उद्योग/ महाप्रबंधक	72 (58+14) (72 पदों में से 14 पद अन्य विभाग/मण्डल /निगम/आदि में प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित होंगे)	–	100 प्रतिशत	–
		(7) सहायक संचालक, उद्योग/ प्रबंधक	227 (212+15) (227 पदों में से 15 पद अन्य विभाग/ मण्डल/निगम आदि में प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित होंगे।	50 पतिशत	50 प्रतिशत सहायक संचालक संवर्ग के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले 50 प्रतिशत पदों में से 3 पदों पर वरिष्ठ निज सहायक की पदोन्नति की जाएगी तथा शेष पदों पर सेवा में सम्मिलित सदस्यों/सहायक प्रबंधक की पदोन्नति की जाएगी।	–।";

(दो) अनुक्रमांक 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
—	—	"(13) वरिष्ठ निज सहायक	09	—	100 प्रतिशत	—।"।

6. अनुसूची—तीन में, कॉलम (2) में पद सहायक संचालक/प्रबंधक के सामने अनुसूची के कॉलम (3), (4) तथा (5) से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
—	—	"21 वर्ष	40 वर्ष	अभ्यर्थी को केन्द्रीय या राज्य विधान—मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्था की उपाधि, जिसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो अथवा कोई समकक्ष अर्हता धारण करता हो।"।

7. अनुसूची--चार में,–

(एक) कॉलम (2) में, पद सहायक संचालक/प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी के सामने, कॉलम (3) में, अंक तथा शब्द "7 वर्ष" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "5 वर्ष" स्थापित किए जाएं;

(दो) कॉलम (2) में, अंत में, पद निरीक्षक/क्षेत्र अधिकारी के पश्चात्, निम्नलिखित पद तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां कमशः जोड़ी जाएं, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"वरिष्ठ निज सहायक	5 वर्ष	सहायक संचालक/प्रबंधक (मात्र 03 पदों के लिए)	—
	निज सहायक	5 वर्ष	वरिष्ठ निज सहायक	—।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2015

क्र. एफ-1(1)14-2012-सी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (1)-14-2012-सी-ग्यारह, दिनांक 28 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th August 2015

No. F 1 (1) 14-2012-C-XI.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh State Industries (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1985, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 8, in sub-rule (1),-

(i) in clause (c), in sub-clause (i), for the figure and word "38 years", the figure and word "40 years" shall be substituted.

(ii) in clause (c), in sub-clause (ii), for the figure and word "38 years" the figure and words "40 years" shall be substituted.

(iii) after Note (2), the following note shall be added, namely:-

"Note (3) In any case the maximum age limit in all classes shall not be more than 45 years after including all concessions provided in this clause. The maximum age shall be calculated in accordance with the General Administration Department Circular No. C-3-XI/12/1/13, dated 3-11-2012 and 20-11-2012.".

2. For rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. Disqualifications.-

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) A candidate shall be disqualified for appointment in the service who is married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall be disqualified for appointment in the service who has more than two living children one of whom is born on or after 26th day of January, 2001:

Provided that such candidate shall not be disqualified for appointment in the service who has already one living child and next delivery takes on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) A candidate shall be disqualified for appointment in the service who has been convicted for an offence against women:

Provided that where such case is pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision the case.".

3. In rule 11, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) 16% and 20% of the vacant posts available for direct recruitment shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively and 14% shall be reserved for Other Backward Classes.".

4. In Schedule-I,-

(i) For serial numbers 3 and 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	**Name of the Posts included in the service**	**Number of Posts**	**Classification**	**Pay Scale**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"3.	Deputy Director Industries/General Manager	72	Class-I	15600-39100 +Grade Pay 6600/-
7.	Assistant Director of Industries/ Manager	227	Class-II	15600-39100+ Grade Pay 5400/-.";

(ii) After serial number 12, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

S.No.	**Name of the Posts included in the service**	**Number of Posts**	**Classification**	**Pay Scale**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"13.	Senior Personal Assistant	09	Gazetted Service Class-II	9300-34800+Grade Pay 4200/-.".

5. **In schedule-II,-**

(i) For serial numbers 3 and 7 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

Name of the Department	Name of service	Name of Posts	Total Number of Duty Posts	Percentage of the number of duty posts to be filled		
				By Direct Recruitment [See rule 6(1) (a)]	By Promotion of members of the service [See rule 6 (1) (b)]	By Temporarily transfer of persons of other services [See rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Commerce Industries and Employment Department	Madhya Pradesh State Industries (Gazetted Service)	"3. Deputy Director of Industries/ General Manager	72 (58+14) (Out of 72 posts shall be 14 posts shall be reserved for deputation in other Department/ Board/ Corporation/ etc)	-	100%	-
		7. Assistant Director of Industries/ Manger	227 (212+15) (Out of 227 posts shall be 15 posts reserved for deputation in other Department/ Board/ Corporation/ etc.)	50%	50% 3 posts out of 50% post to be filled by promotion of Assistant Director Cadre, shall be filled by promotion of Senior Personal Assistant and remaining posts shall be filled by promotion of members/ Assistant manager included in service.	-.";

(ii) After serial number 12, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		"(13) Senior Personal Assistant	09	-	100%	-.".

6. In schedule-III, against the post of Assistant Director/ Manager, the following entries shall be substituted, namely:-

Name of the Department	**Name of service**	**Minimum age limit**	**Upper age limit**	**Education Qualification**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
		"21 Years	40 Years	A Candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament, declared to be deemed university under section 3 of the University Grants Commission Act 1956, or possesses an equivalent qualification.".

7. **In Schedule-IV, -**

(i) In column (2), against the post Assistant Director/ Manager/ Administrative Officer, In column (3), for figure and word "7 Yrs." , the figure and word "5 Years" shall be substituted.

(ii) In column (2), after post of Inspector/ Field Officer, the following posts and entries relating thereto shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"Senior Personal Assistant	5 Years	Assistant Director/Manager (for 03 post only)	-----"-----
	Personal Assistant	5 Years	Senior Personal Assistant	-----"----- .".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR VERMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.